

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरु)

कमक : राजस्व / 2019 / 853

दिनांक : 24/4/19

-: संपरिवर्तन आदेश :-

आवेदक सुबोध शिक्षण संस्थान ग्राम कानूता तह. सुजानगढ़ जिला चूरु के आवेदन पर उसकी खरीदशुदा अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 (1) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम तथा पूरा पता:-	सुबोध शिक्षण संस्थान ग्राम कानूता तह. सुजानगढ़ जिला चूरु
2. क्या आवेदक अनु. जाति / जनजाति का सदस्य है?	नहीं
3. संपरिवर्तन करवाये जाने के लिए इम्तिहान भूमि का ब्यौरा:- (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम:- (ख) भूमि का ख.सं. तथा प्रत्येक ख.सं. का क्षेत्र:-	कानूता / कानूता / सुजानगढ़ ख.सं. 1306 / 1263 रकबा 0.8816 हेक्टेयर
(ग) संपरिवर्तन भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) :-	ख.सं. 1306 / 1263 रकबा 0.8816 हेक्टेयर में से 8816 वर्गमीटर भूमि सम्पूर्ण का संस्थागत (शैक्षणिक) संपरिवर्तन किया गया है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :-	संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजन
5. संदेय प्रिमियम की दर :-	नियमानुसार
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की रकम	चालान नंबर :- जी आर एन 29496538 दिनांक 29.03.2019 राशि 47020 रुपये
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो	नहीं



24/4/19
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

सलंगन रहे
उप पंजीयक
सुजानगढ़ (चूरु)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर या राज्य सरकार के नियम 14 के अन्तर्गत बढ़ाई गई कालावधि के भीतर संपरिवर्तित भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी। और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समप्रहत हो जायेगा।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
4. प्रमाणित शुद्धा ब्ल्यु प्रिन्ट के अनुसार इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सड़क से दूरी छोड़नी होगी।
5. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं किया जावेगा।
6. भू-स्वामित्व की जांच का पूर्ण अधिकार राजस्व विभाग को होगा।
7. आवेदक को बिना आपत्ति के प्रकरण से संबंधित आदेश व उक्त शर्तों की पालना करनी होगी तथा भविष्य में कोई राशि देय बनती हो तो जमा कराने के लिए बाध्य होगा।



Sd-

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

क्रमांक:- राजस्व/2019/854-856

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:

दिनांक:- 24/4/19

1. तहसीलदार सुजानगढ़
2. उपपंजीयक सुजानगढ़
3. सरपंच, ग्राम पंचायत कानूता पंचायत समिति सुजानगढ़ जिला चूरु।
4. आवेदक सुबोध शिक्षण संस्थान ग्राम कानूता तह. सुजानगढ़ जिला चूरु।

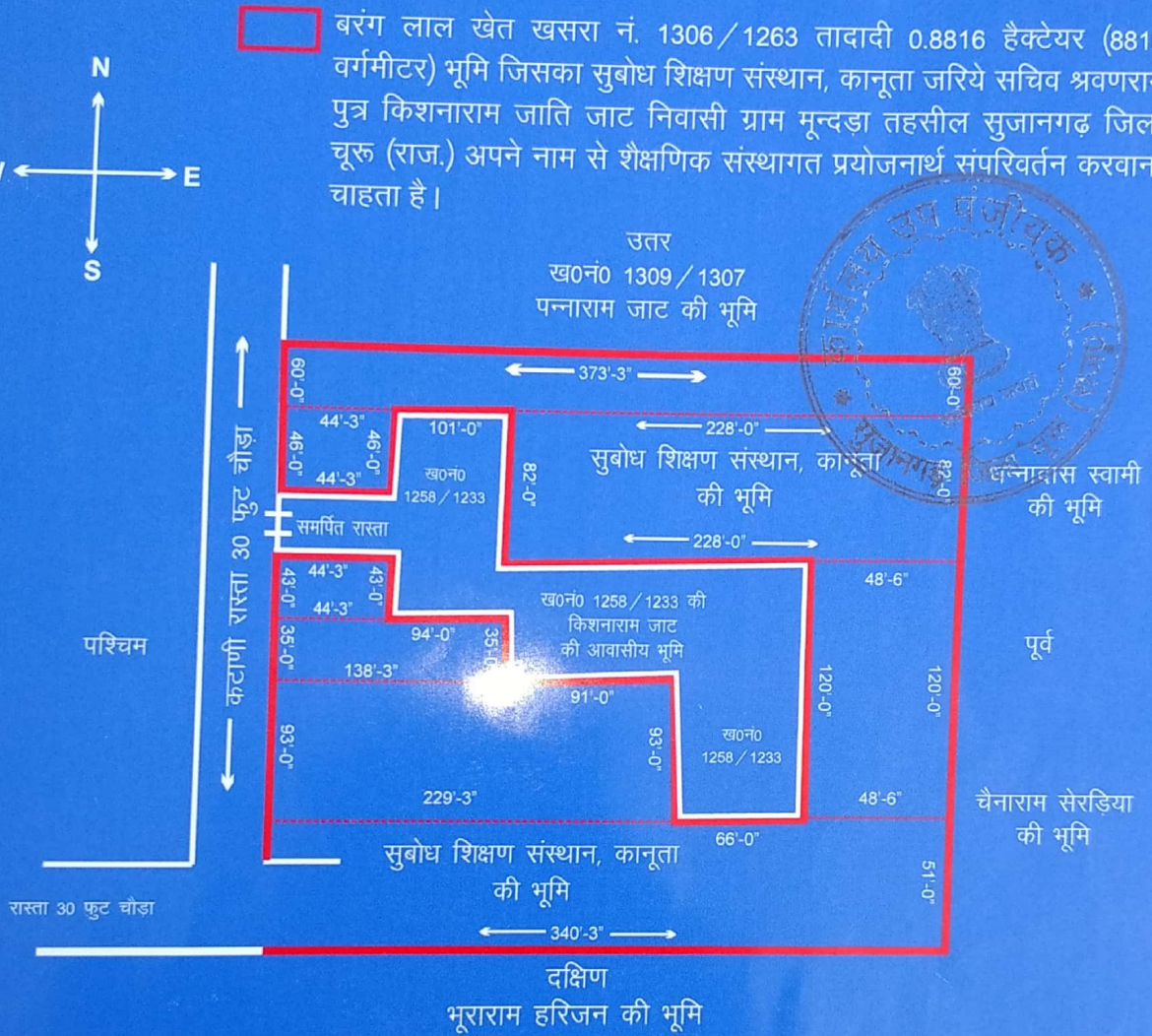
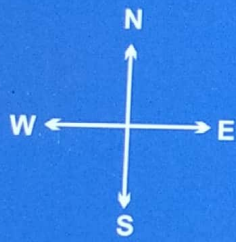


22
24/4/19
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

सलंगन रं

उप पंजीयक
सुजानगढ़ (चूरु)

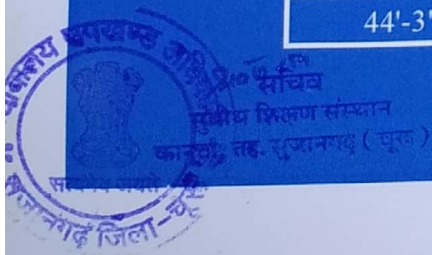
नक्शा मौका वाके ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.) की सीमा में खेत खसरा नं. 1306/1263 तादादी 0.8816 हैक्टेयर की भूमि सुबोध शिक्षण संस्थान, कानूता, ग्राम पोस्ट कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थित है।



भूमि का क्षेत्रफल (उत्तर से दक्षिण की ओर)

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
44'-3"	44'-3"	46'-0"	46'-0"
373'-3"	373'-3"	60'-0"	60'-0"
228'-0"	228'-0"	82'-0"	82'-0"
48'-6"	48'-6"	120'-0"	120'-0"
340'-3"	340'-3"	51'-0"	51'-0"
229'-3"	229'-3"	93'-0"	93'-0"
138'-3"	138'-3"	35'-0"	35'-0"
44'-3"	44'-3"	43'-0"	43'-0"

कुल क्षेत्रफल 94894.54 वर्गफुट यानि 8816 वर्गमीटर (0.8816 हैक्टेयर)



पटवारी
प. न. 1306/1263
त. सुजानगढ़ (चूरु)

28/3/19

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

तहसीलदार
सुजानगढ़

सचिव

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)

28/3/19

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)